फर्द अहकाम

शिवकुमार वगै0 बनाम रामानन्द वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

मुकदमा नम्बर 39 **/2025 दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

जीसीएमएस संख्याः 2025/

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.04.2025	वादीगण की ओर से यह वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री बजरंग लाल यादव व धर्मपाल यादव के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतू दिनांक 30.05.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	
	02/05/25	पत्रावली मादर श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र पदम सिंह व सिविल रिट दुकान का प्रा. पत्र प्राप्त होने पर नियत दिनांक को तल्बी की गई। प्रा. पत्र अधिनियम किया होने वाले तल्बी प्रतिवादीगण हेतु नियत दिनांक 30.05.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	
	30-5-25	पत्रावली पेश / वकील उभय पक्ष उपस्थित / साबिक आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 27-6-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा	
	27/6/25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 14.7.25 को पेश हो।	
	14/07/25	पत्रावली पेश वादी की ओर से कोई आया नहीं न्यायालय समय के दौरान बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये अभाव वादी के पक्ष पदम हाजरी खंडदम पेशी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	